1 जुलाई 2018 को Goods & Service Tax के कार्यान्वयन के एक वर्ष पूर्ण होने पर ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर, इन्दौर में आयोजित कार्यक्रम में माननीया लोक सभा अध्यक्ष का भाषण।

———

- आज Goods & Service Tax (GST) के एक वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। GST न केवल देश के इतिहास का बल्कि भारत की जनसंख्या के कारण दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक एवं कर सुधारों में से एक है।
- आप सब लोग जानते हैं कि देश में GST लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जटिल कर व्यवस्था, अनेक प्रकार के केन्द्रीय, राज्य व स्थानीय कर (Multiple Taxes by Centre, State and Local Bodies), विभिन्न करों की भिन्न–भिन्न दरें (multiple rates), कर के ऊपर कर (tax on tax) इत्यादि प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से देश की आर्थिक उन्नति की गति अपेक्षित दर से नहीं हो पा रही थी।
- जो विदेशी कंपनी एवं राष्ट्र, भारत में Investment करना चाहते थे वे भी यह शिकायत करते थे कि भारत की कर–पद्धति (taxation system) जटिल है और इसलिए यहां पर Investment करना अथवा Business करना आसान नहीं था।
- अभी मैं फिनलैंड की दौरे पर गई थी तो वहां मुझे फिनलैंड की संसद के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनकी एक कंपनी नोकिया के मामले में जो टैक्स विवाद (Tax law के interpretation को लेकर नोकिया और भारत सरकार

के बीच में विवाद था) हुआ था, उसके कारण फिनलैंड और अन्य देशों से और अधिक Investment भारत में नहीं आ सका।

- व्यापारियों के लिए tax compliance की cost अधिक थी और अक्सर टैक्स अधिकारियों द्वारा harassment और भ्रष्टाचार और कर–चोरी की शिकायतें भी सुनने में आती थी।
- इन सब बातों के मद्देनज़र, काफी वर्षों से अन्य कई विकसित देशों में प्रचलित Goods & Service Tax को भारत में लागू करने के प्रयास चल रहे थे। सन् 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में इस बिल के लिए प्रथम प्रयास करते हुए एक empowered committee का गठन किया गया।
- काफी वर्षों की मेहनत के बाद GST कानून 1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि को संसद के केन्द्रीय कक्ष में हुए एक विशिष्ट समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा इसे लागू करने की घोषणा की गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संविधान संशोधन विधेयक गहन चर्चा के बाद लोक सभा एवं राज्य सभा से सर्वसम्मति से पारित किया गया और इसके खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा।
- आज़ादी के बाद सरदार पटेल ने भारत की अलग–अलग रियासतों एवं प्रान्तों को राजनीतिक रूप से एकीकृत करने का कार्य किया था। अब, इस सरकार ने, राज्य सरकारों और विभिन्न राजनीतिक दलों के सम्मिलित सहयोग से सम्पूर्ण देश को आर्थिक रूप से एकीकृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।
- GST का कानून आधुनिक भारत के राजनीतिक, आर्थिक एवं व्यापारिक इतिहास की एक प्रमुख घटनाओं में से एक है।
- GST जिसे हमारे प्रधानमंत्री ने गुड एण्ड सिम्पल टैक्स (Good & Simple Tax) भी कहा था, ने भारत में ''One Nation-One Market-One Tax'' की स्थापना कर दी।

- GST का सबसे बड़ा फायदा यह रहा कि बहुत प्रकार के अलग–अलग टैक्स जैसे कि Sales Tax, Octroi, Excise Duty, Service Tax इत्यादि समाप्त हो गए और वे सभी GST के रूप में एक टैक्स में समाहित हो गए। साथ ही, GST लागू होने के बाद टैक्स के ऊपर टैक्स (cascading effect of tax) भी खत्म हो गया।
- चूंकि स्वतंत्रता के लगभग 70 सालों तक हम सभी नागरिक, व्यापारी, उद्योगपति, प्रोफेशनल्स अपने–अपने राज्यों में रहते हुए पुराने टैक्स सिस्टम के आदी थे और GST के रूप में इतना बड़ा बदलाव और टैक्स व्यवस्था में आमूल–चूल परिवर्तन आया कि इसके implementation के प्रति अनेक संशय, शंकाएं और यहां तक कि डर भी था और शुरूआत में कुछ confusion और प्रक्रियाओं के प्रति असुविधा और असहजता भी रही। लेकिन सरकार ने जनता, व्यापारी वर्ग और अधिकारियों से लगातार मिल रहे फीडबैक के आधार पर tax procedure, tax rate आदि में निरंतर सुधार किए ताकि टैक्स व्यवस्था में इस बदलाव के कारण लोगों को कम से कम असुविधा हो और यह सुधार निरंतर जारी है।
- यहां सबसे उल्लेखनीय है कि GST council, जो कि GST के संबंध में नीतिगत निर्णय लेने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार के वित्त मंत्रियों की काउंसिल है, में आज तक GST से संबंधित जितने निर्णय हुए हैं, वे विभिन्न पार्टियों की सरकारें होने के बावजूद सभी निर्णय सर्वसम्मति से हुए हैं। मैं इसके लिए माननीय अरूण जेटली जी और सभी राज्य सरकारों को बधाई देती हूं।
- इससे हमारे लोकतंत्र की शक्ति का भी पता चलता है और यह भी पता चलता है कि देश के विकास के लिए और देश हित के लिए सभी एकमत हैं। यह Co-operative Federalism का बेहतरीन उदाहरण है।

- GST से Business transaction का तरीका भी इससे परिवर्तित हुआ है और आम आदमी के जीवन पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ा है।
- GST के लागू होने पर करदाताओं के समक्ष शुरूआती दिक्कतें आईं एवं वे return filing process and IT system (Information Technology) के प्रति उतने उत्साहित नहीं थे। इसलिए सरकार simplified return format GSTR-3B लेकर आई और इसे और simplify करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सरकार का प्रयास है कि अधिकाधिक करदाताओं को सुविधा हो, इसके लिए सरकार single page return system विकसित कर रही है जो कि trial के बाद 1 जनवरी 2019 से लागू किए जाने की संभावना है।
- इस नए टैक्स regime में सभी को सही एवं समय से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण पहलू है इसलिए सरकार ने इस वृहत् एवं महत्वपूर्ण कार्य को जन–जन तक पहुंचाने के लिए कई जगहों पर कई कार्यक्रम एवं सेमिनार आयोजित किए।
- विभाग के अधिकारियों ने करदाताओं को मदद करने के उद्देश्य से ''जीएसटी सेवा केन्द्र'' खोले जहां उन्होंने करदाताओं को new registrations, return filing, refund और अन्य संबंधित जानकारिया उपलब्ध कराईं।
- सरकार ने छोटे करदाताओं को सुविधा के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं जैसे increasing the limit of composition scheme की लिमिट को बढ़ाकर 75 lakh रुपए करना एवं quarterly simplified return दाखिल कराना। GST के प्रभावी एवं सुचारू कार्यान्वयन की दृष्टि से ये सारे कदम बहुत सकारात्मक सिद्ध हो रहे हैं।

- अधिकतर items पर Revenue Neutral Rate रखी गई है अर्थात्, GST लागू होने के पहले सभी प्रकार के टैक्सों को मिलाकर जो टैक्स बनता था, नए GST में अधिकतर items पर उतना ही टैक्स या उससे कम टैक्स रखा गया है। केवल Luxury Goods, तम्बाकू जैसे प्रोडक्ट्स पर GST रेट बढ़ा है।
- विभिन्न व्यवसायियों, उद्योगपतियों, उपभोक्ताओं एवं अन्य प्रतिनिधियों से उनके ज्ञापन प्राप्त होने के पश्चात्, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, जहां पहले 280 items को सर्वाधिक 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब में रखा था, अब उसे घटाकर 50 items कर दिया गया है। इससे न केवल उद्योग बल्कि उपभोक्ताओं को भी बहुत राहत मिली है।
- भारत में GST के कार्यान्वयन की सफलता का एक बड़ी कहानी यह है कि अब तक जिस देश में भी GST लागू हुआ, वहां शुरूआती वर्षों में inflation rate high रहा। पर भारत के case में ऐसा नहीं हुआ।
- GST के आने के बाद अब यह आशा है कि हमारा टैक्स सिस्टम कुछ समय में स्थिर हो जाएगा और हमारे प्रोडक्ट्स की कीमतें कम हो जाएंगी क्योकि GST लगने के बाद लगभग 60 प्रतिशत से अधिक items पर टैक्स का net effect कम हुआ है। प्रोडक्ट्स की कीमतें कम होने से विदेशों में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकेगा।
- भारत में जो भी टैक्स रेट है वह औसत (moderate) है। भारत में tax GDP ratio लगभग 17 प्रतिशत है अर्थात् टोटल जी.डी.पी. का 17 प्रतिशत टैक्स के रूप में सरकार को प्राप्त होता है जबकि दुनिया के अधिकतर विकसित देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में यह लगभग 30–35 के आस–पास है।

- ऐसे ही दुनिया भर में tax collection करने की जो cost सरकार को लगती है वह भी भारत में सबसे ज्यादा कम है। GST लागू होने के पहले indirect tax (custom, central excise and service tax) को कलेक्ट करने की कॉस्ट total tax collection का लगभग आधा प्रतिशत थी।
- GST लागू होने से पहले के Indirect tax regime में 64 लाख व्यापारी एवं उद्योग इकाइयां रजिस्टर्ड थे। अब GST लागू होने के बाद यह संख्या बढ़कर 1 करोड़ 12 लाख हो गया है। अर्थात् GST के कारण कर के दायरे का विस्तार हुआ है जो कि बहुत अच्छी बात है।
- टैक्स बेस भी बढ़ा है और अब income tax भरने वालों की संख्या भी 5.43 करोड़ (2016–17) से बढ़कर 6.84 करोड़ (2017–18) हो गई है। यानि कि 1.5 करोड़ नए लोग Income Tax दे रहे हैं। इस तरह GST का प्रभाव Direct taxes अर्थात् Income Tax पर भी सकारात्मक रूप से पड़ा है।
- GST लागू होने के बाद जो ट्रक एक दिन में औसतन 225 किलोमीटर की दूरी तय करते थे, वे अब लगभग 325 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और सारे चुंगी–नाके खत्म हो गए हैं। E-way Bill आने से व्यापारियों को जहां Input Credit प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी, वहीं साथ में कर की चोरी पर नियंत्रण भी हो सकेगा।
- GST लागू होने के बाद Indirect Taxes में लगभग 14 प्रतिशत की growth हुई है और August 2017 से March, 2018 तक 7.14 लाख करोड़ रुपए GST के तहत एकत्रित हुए हैं। अर्थात् GST से tax base बढ़ा और Revenue Neutral Rate होने के बावजूद कर–वसूली में वृद्धि हुई है।
- उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि GST की घटी हुई दरों का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचे, इसके लिए सरकार

ने National Anti Profiteering Authority का भी गठन किया गया है और इसने कई मामलों की उचित कार्यवाही करते हुए उपभोक्ताओं तक GST की घटी हुई दरों का फायदा पहुंचाया है।

➢ सरकार लगातार आर्थिक क्षेत्र में नीतियों के माध्यम से संरचनात्मक सुधार कर रही है और व्यापारी वर्ग के हितों को दृष्टिगत रखते हुए इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। लगभग 1500 अवांछित एवं outdated कानून खत्म कर दिए गए हैं। यही कारण है कि हम Ease of doing Business में 130 से 100वें पायदान पर आ गए हैं।

➢ GST रिटर्न फाइलिंग में व्यवसायियों को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कौशल विकास के अंतर्गत 'GST Accounts Assistant' की ट्रेनिंग को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है और GST trained professionals तैयार किए जा रहे हैं।

➢ मैं अभी बेलारूस के दौरे पर गई थी तो वहां मैंने संसद के प्रतिनिधियों से tax collection के संबंध में चर्चा की थी तो पता चला कि वहां पर टैक्स की चोरी लगभग नगण्य है। पूछने पर पता चला कि किसी भी प्रकार के Sale-Purchase के लिए जो Invoice generate होता है, वह सरकारी सिस्टम (Govt. System) के ऊपर ही हो सकता है और इसलिए वहां सरकार, प्रशासन और व्यापारियों को किसी प्रकार का कोई तनाव या उलझन नहीं है। मुझे बताया गया है कि दुनिया के कई देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है।

➢ किसी भी देश की प्रगति, सुरक्षा एवं संरक्षा, social benefits, सड़क निर्माण, सिंचाई तथा रेल आदि के लिए सरकार के पास सबसे बड़ा साधन tax revenue होता है। अतः, taxpayers को भी यह समझना होगा कि उनके द्वारा टैक्स के रूप में किया गया भुगतान देश के निर्माण के प्रति और गरीबों के

हित में किया गया योगदान है। टैक्स–चोरी होने से Black-money generate होती है जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और अनेक सामाजिक एवं आर्थिक विसंगतियां जन्म लेती हैं। इसलिए हम सबका उत्तरदायित्व है कि हम ईमानदारी से निर्धारित कर चुकाएं। टैक्स अधिकारी इस बात को समझें कि जो व्यापारी या टैक्सपेयर टैक्स देते हैं, वे अपनी रोजी–रोटी के अतिरिक्त देश की उन्नति एवं राष्ट्रनिर्माण में योगदान करते हैं। अतः, उन्हें टैक्स प्रशासन भी ईमानदारी एवं सदिच्छा के साथ–साथ निष्पक्ष एवं न्यायिक तरीके से चलाना चाहिए।

➢ यह सरकार एक संवेदनशील सरकार है इसलिए यदि आपकी कोई समस्याएं आती हैं तो हम उसके निराकरण के लिए अवश्य सब प्रयास करेंगे। मुझे याद है कि इन्दौर से अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स GST को लेकर मेरे पास आए थे और वह अगरबत्ती पर टैक्स रेट कम करवाना चाहते थे। जब मैंने यह बात वित्त मंत्रालय से की तो उन्होंने तुरंत ही उचित कार्यवाही करते हुए अगरबत्ती पर जीएसटी कम कर दिया है। इससे पता चलता है कि सरकार व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील एवं संवेदनशील है। लेकिन, सरकार को भी tax collection और tax छूट में संतुलन हमेशा बनाए रखना पड़ता है ताकि विकास के कार्य भी हो सके और जनता पर कर का भार अधिक न हो।

————